

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/05

दिनांक: 06.09.2021

सेवा में,
श्री प्रदीप पाठक
 चैम्बर नं० 12,
 अधिवक्ता भवन
 जिला - न्यायालय.
 पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) 262501

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 07.08.2021 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 07.08.2021 का क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को जौलजीबी उपकेन्द्र के मध्यम से दिनांक 23.08.2021 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

| क्रमांक | मांगी गई जानकारी | दी गयी जानकारी |
|---------|--|---|
| 1. | बगड़ीहाट में बने पावरग्रिड निर्माण में कितने व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? | 30 (तीस) व्यक्तियों |
| 2. | पदम् बहादुर लाल पुत्र श्री कृष्ण बहादुर पाल की कितनी जमीन अधिग्रहित की गयी है और जमीन का मुआवजा कितना है और कहाँ जमा है? | सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत, मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, जिसे बिना उनकी सहमति के साझा नहीं किया जा सकता। |

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
 कार्यपालक निदेशक,
 पावरग्रिड उ०क्षे० - 3
 12 राणा प्रताप मार्ग,
 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,

(राणा प्रताप)
 06.09.21

[राणा प्रताप]

महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
 पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
 पावरग्रिड, लखनऊ